सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अनिता / गणेश मु.न. 159/2023

12/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील बिरदीचन्द अप्रार्थी संख्या 01,02,03, की ओर से मुकल(?) हाजिर। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक मौका एवं रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे। पत्रावली में पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.12.23 से रिकॉर्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया था। जिसमे रिकॉर्ड के साथ-2 मौके की न्यायालय द्वारा उभय पक्षो को भी यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उक्त आदेश प्रचलित रास्ता, पुराने मकान की मरम्मत एवं विद्युत कनेक्शन पर लागु नहीं होगा। मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

दोनो पक्ष मौका एवं रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे नोटिस आपत्ति [illegible]

(अप्रार्थीगण)

[illegible]

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

पुनश्चः- वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आवेदन पत्र दिनांक 12/1/24 का निर्णय पारित जिसमे दोनो पक्ष भूमि खसरा नम्बर 288, 400, 401 ग्राम अजीतपुरा के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति के अलावा जो अन्य सहायता दी गई है को रिव्यु किये जाने बाबत पेश किया। जिस पर वकील प्रार्थी ने आवेदन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं की। अतः आवेदन स्वीकार कर उपरोक्त स्थगन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त स्थगन आदेश मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर